

14  $\frac{12}{20}$

~~प्राथमिक के अधिकारों को~~

~~वकील प्राथमिक ने जाहिर किया कि~~

~~उपखण्ड अधिकारी वालेकर के पूर्व पीठासीन~~

~~अधिकारी का स्थानान्तरण हो चुका है तथा~~

~~नये पीठासीन अधिकारी परस्थापित भी~~

~~हो चुके हैं अतः यह प्रार्थना पर प्रभावहीन~~

~~हो चुका है।~~

~~पञ्जावली देवी गर्ग - चूंकि उपखण्ड~~

~~अधिकारी वालेकर न्यायालय के पूर्व पीठासीन~~

~~अधिकारी के चयन राहों का स्थानान्तरण होने~~

~~पूर्व नये पीठासीन अधिकारी परस्थापित होने~~

~~से प्राथमिक का प्रार्थना पर अधि. 235, राज.~~

~~संश्लेषण अधि. प्रभावहीन (Infructuous) हो~~

~~के हो चुका है अतः प्रार्थना पर निरस्त~~

~~किया जाता है अधि. अधि. की प्रा. 235~~

~~वैलेकर को प्रेषित है। अधि. हुनाया~~

~~गया। पञ्जावली के तब सुनार होकर~~

~~लाजिल इफ्तार हो।~~

